

## राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्त्वपूर्ण नीतित्वागत नरिणय

### चरचा में क्यौं?

- 15 दसिंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्रि अशोक गहलोट की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संवदि नयिक्त के लयि नयिम बनाने, चरागाह भूमिपर बसी सघन आबादी के नयिमतिकरिण हेतु नीत के प्रारूप के अनुमोदन सहति कई अन्य महत्त्वपूर्ण नीतित्वागत नरिणय लयि गए।

### प्रमुख बदि

- मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केंद्र सरकार की वभिनिन योजनाओं, परयिोजनाओं एवं कार्यक्रमों के करयिान्वयन के उद्देश्य से एक नश्चित अवधि के लयि रखे जाने वाले कार्मकों की संवदि नयिक्त हेतु 'राजस्थान कॉन्ट्रेक्टुअल अपॉइंटमेंट टू सविलि पोस्ट्स रूलस-2021' बनाए जाने का अनुमोदन कयि। इस नरिणय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्त के लयि ऐसे कार्मकों को संवदि पर नयिक्त करने के नयिम बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- मंत्रिमंडल ने चरागाह भूमिपर बसी सघन आबादी के नयिमतिकरिण के लयि प्रस्तावति नीत के प्रारूप का अनुमोदन कयि। चरागाह भूमि का वर्गीकरण परविरतन व्यापक जनहति में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर कयि जाएगा। नीत के तहत चरागाह भूमिपर कम-से-कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रत परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दयि जाएगा। आयकरदाता व्यक्त को इसका लाभ नहीं दयि जाएगा। इस नीत से चरागाह भूमिपर बसे नरिधन परिवारों को पट्टा मलि सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सौलर पार्क की स्थापना के लयि राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रनियूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हसिसेदारी की जॉइंट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर तथा बाटयाडू एवं नेडान गाँव में 276.86 हेक्टेयर राजकीय भूमि सशरत कीमतन आवंटति करने की मंजूरी दी।
- इसके अतरिक्रि करीब 30 मेगावाट वडि सौलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लयि केरालयि गाँव में 64.38 हेक्टेयर राजकीय भूमि को लीज़ पर सशरत कीमतन आवंटति करने की मंजूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजति होंगे।
- बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहति करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दी गई। यह नीत सिथाई एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देगी।
- इस नीत के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रपिस-2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे। इससे राज्य के भूजल सुरक्षति क्षेत्तों (सेफ ब्लॉक्स) में इथेनॉल प्लांट नयिमानुसार स्थापति हो सकेंगे, जसिसे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मलिगा। साथ ही कसिनो, उद्यमयिों एवं कामगारों के लयि लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे।
- बैठक में राजस्थान नगर नयिोजन सेवा नयिम-1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सहायक नगर नयिोजक की सीधी भरती के लयि आवश्यक अरहता में बैचलर ऑफ प्लानगि तथा मास्टर ऑफ प्लानगि को सम्मलति कयि जा सकेगा। इस नरिणय से नगर नयिोजन वभिग में टाउन प्लानगि से संबंधति उच्च योग्यता, वशिषज्जता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यरथी उपलब्ध हो सकेंगे, जसिसे आमजन के नगर नयिोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादति कयि जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शति अधनयिम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शति अधनयिम, 2013 के तहत जारी अधसिूचना में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्वसि ऑर्गेनाइज़ेशन को जोड़ने का नरिणय लयि है। इससे राज्य के सभी वभिगों एवं वकिस प्राधकिरणों, यूआईटी, नगर नगिम, नगर परषिदों, नगर पालकिाओं आदि को शौचालय नरिमाण, रखरखाव एवं संचालन का कार्य समयबद्ध तथा त्वरति रूप से कयि जाने के लयि एक वकिल्प उपलब्ध हो सकेगा।
- बैठक में राजस्थान फाइनेंशयिल सर्वसिज डलिवरी लिमिटेड का गठन करने की मंजूरी दी गई। इस संस्था के गठन से राजकीय वभिगों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नयिमों आदि क्षेत्तों में आवश्यक वशिषज्जता, परामर्श एवं सहयोग मलि सकेगा।